



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र.

/ 2012 पुनरीक्षण

R. 3720-112

श्योजी दत्तक पुत्र स्व. प्रहलाद

निवासी ग्राम अजापुरा तहसील व जिला

श्योपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. मांगीबाई पुत्री स्व.प्रहलाद पत्नी गुलाबचंद
निवासी ग्राम सनमान पुरा तह. पीपल्दा
जिला कोटा (राजस्थान)
2. गीता बाई पुत्री स्व. प्रहलाद पत्नी
रतनलाल निवासी ग्राम पानडी तहसील व
जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. संतोष बाई पुत्री स्व. प्रहलाद पत्नी
मूडीलाल निवासी ग्राम राधापुरा तह. बडौदा
जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

4. म.प्र. शासन (प्रोफार्मा पक्षकार)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्र.क.
99 / 2011-12 / अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 25.8.12
के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व सहिता 1959 की धारा 50 के
अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तैथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

MSL

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3720-एक/2012 निगरानी

जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पश्चात्कारों संत अभिं ते हस्ता
४-८-१६	<p>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ९९/११-१२ अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक २५-८-१२ के विरुद्ध म०प्र०भ० राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष ग्राम पंचायत अजापुरा की नामान्तरण पंजी क्रमांक ४१ में पारित आदेश दिनांक १०-१-०२ के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक २५-८-१२ से प्रकरण पंजीबद्ध करने का तथा अधीनस्थ व्यायालय का रिकार्ड तलब करने का निर्णय लिया है।</p> <p>३/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में व्यक्त किया है कि अनुविभागीय अधिकारी को नामान्तरण आदेश दिनांक १०-१-०२ के ८ वर्ष वाद अपील को दर्ज नहीं करना था अपितु उन्हें समयावधि के बिन्दु पर अपील निरस्त कर देना चाहिये थी।</p> <p>४/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं निगरानी मेमो में अंकित आधारों के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी ने ८ वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत अपील को सुनवाई में लिया है। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक २५-८-१२ के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने अपील सुनवाई हेतु दायर कराई है अवधि विधान</p>	

५५

(M)

की धारा-5 पर अथवा विलम्ब पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। विलम्ब के सम्बन्ध में जो आपत्ति आवेदक के अभिभाषक इस व्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें तदाशय की आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलशील पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख के साथ आदेश की प्रति भेजी जावे एंव प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

A
ASL

सदस्य